बालिकाओ को रक्षा के लिए तैयार करना: राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु भारत में बालिकाओ का समाजीकरण, शिक्षा और प्रशिक्षण

दीपशिखा[1], प्रो० कविता कन्नोजिया[2]
[1]*शोधकर्ती, समाजशास्त्र विभाग, किशोरी रमन गर्ल्स पी०जी० कॉलेज मथुरा, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत*
[2]*पर्यवेक्षक, समाजशास्त्र विभाग, किशोरी रमन गर्ल्स पी०जी० कॉलेज मथुरा, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत*

***Abstract*—भारत में बालिकाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तैयार करना न केवल सामाजिक आवश्यकता है, बल्कि एक अपरिहार्य रणनीति भी है। वर्तमान में अधिकांश बालिकाओं का पारंपरिक समाजीकरण उन्हें 'रक्षित' (सुरक्षा लेने वाली) की भूमिका में ढालता है, जबकि शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा जैसे व्यावहारिक विषयों का अभाव है। शोध के परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जब बालिकाओं को 'रक्षक' मानसिकता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यवस्थित प्रशिक्षण (जैसे NCC, सलमा, वीरांगना शिविर) दिया जाता है, तो वे अप्रशिक्षित बालिकाओं की तुलना में आत्मरक्षा, आपदा प्रबंधन, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास में 50% से 73% तक अधिक दक्ष हो जाती हैं। केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों के सफल मॉडल यह साबित करते हैं कि प्रशिक्षित बालिकाएँ बाढ़, सीमा सुरक्षा, खुफिया जानकारी, मानव तस्करी और बाल विवाह जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। हालाँकि, अभी केवल 30% बालिकाएँ ही किसी प्रशिक्षण से जुड़ी हैं, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से आगे बढ़कर 'बेटी सिखाओ, देश बचाओ' का मंत्र अपनाया जाए। प्रस्तावित सुझावों में राष्ट्रीय जागरूकता अभियान, पाठ्यक्रम में सुरक्षा शिक्षा को अनिवार्य बनाना, सभी जिलों में 'लड़की सुरक्षा कोष' और 'बालिका रक्षा दल' का गठन, तथा प्रशिक्षित बालिकाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में प्राथमिकता देना शामिल है। निष्कर्ष यह है कि वर्ष 2030 तक प्रत्येक बालिका को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और बुनियादी संचार कौशल में प्रमाणित करना ही वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा होगी, क्योंकि भविष्य की सुरक्षा बंदूकों या मिसाइलों में नहीं, बल्कि हर बालिका के आत्मविश्वास और कौशल में बसती है।**

***Index Terms*—आत्मरक्षा प्रशिक्षण. रक्षक मानसिकता.राष्ट्रीय सुरक्षा.सलमा योजना.वीरांगना प्रशिक्षण शिविर.समाजीकरण.**

I. प्रस्तावना

राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं पर तैनात सेनाओं, या सीमा पार की खुफिया जानकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें समाज के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवा पीढ़ी, की मानसिकता, कौशल और तत्परता में गहराई तक धंसी होती हैं। भारत जैसे विशाल एवं अत्यधिक विविधतापूर्ण लोकतंत्र में बालिकाओं को रक्षा के लिए तैयार करना केवल लैंगिक समानता या महिला सशक्तिकरण का एक सामाजिक नारा नहीं है, वरन् यह एक अपरिहार्य एवं रणनीतिक राष्ट्रीय आवश्यकता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, झलकारी बाई और कितने ही अज्ञात वीरांगनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि सशक्त और प्रशिक्षित बालिकाएँ राष्ट्र की प्रथम पंक्ति की रक्षक बन सकती हैं, जो आक्रमणकारियों को मुँहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखती हैं। आधुनिक संदर्भ में 'रक्षा के लिए तैयार' का अर्थ केवल शारीरिक युद्ध कौशल या हथियार चलाना मात्र नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत मानसिक दृढ़ता, साइबर सुरक्षा जागरूकता, आपदा प्रबंधन की समझ, सामुदायिक निगरानी में सहयोग और आत्मरक्षा की संपूर्ण क्षमता सम्मिलित है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (2021) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब किसी राष्ट्र की आधी आबादी को रक्षा के लिए समाजीकृत, शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं किया जाता, तो वह राष्ट्र अपनी ही क्षमता के आधे भाग से लड़ रहा होता है। इसलिए भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ, आतंकवाद, सीमा विवाद, साइबर अपराध, आंतरिक दंगे और जलवायु आपदाएँ तब अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित की जा सकेंगी, जब हम प्रत्येक बालिका को एक जागरूक, आत्मनिर्भर और रक्षा–उन्मुख नागरिक के रूप में विकसित करेंगे। इस निबंध के माध्यम से हम भारत के संदर्भ में बालिकाओं के समाजीकरण, शिक्षा और प्रशिक्षण के उन त्रि–आयामी पहलुओं का विश्लेषण करेंगे, जो उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा का सशक्त आधार बना सकते हैं।

समाजीकरण: रक्षा–उन्मुख मानसिकता का निर्माण

बालिकाओं के प्रारंभिक समाजीकरण में यह संदेश अंतर्निहित किया जाना चाहिए कि रक्षा केवल पुलिस या सेना का कार्य नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। दुर्भाग्यवश, पारंपरिक भारतीय समाज में अक्सर लड़कियों को 'कोमल', 'सुरक्षा की पात्र' और 'पराधीन' के रूप में समाजीकृत किया जाता है, जो उन्हें आत्मरक्षा और नेतृत्व से वंचित रखता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT] 2020) ने 'जेंडर सेंसिटाइजेशन' पाठ्यक्रम में सुझाव दिया है कि परिवार और विद्यालय दोनों को बालिकाओं का समाजीकरण 'रक्षक' के रूप में करना चाहिए, न कि केवल 'रक्षित' के रूप में। उदाहरणतः एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर) में बालिका कैडेटों की संख्या में 2016 से 2023 के बीच 40% की वृद्धि हुई है, जो सकारात्मक सामाजिक बदलाव का संकेत है (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, 2023)। इसके अलावा, सामुदायिक स्तर पर 'सुरक्षित पंचायत' अभियानों और लैंगिक–समावेशी परीक्षाओं के माध्यम से बालिकाओं को आपात स्थितियों में निर्णय लेने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

शिक्षा: ज्ञान के माध्यम से सशक्तिकरण

शिक्षा वह आधार है जो बालिकाओं को अपने अधिकारों, संवैधानिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51) और राष्ट्रीय सुरक्षा संकटों के प्रति जागरूक बनाती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में 'राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा' को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) की अनुशंसा है कि स्कूली स्तर पर ही

छात्राओं को साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, संचारी रोग प्रबंधन, और सामुदायिक पुलिसिंग जैसे विषयों से अवगत कराया जाए। गुजरात राज्य के सरकारी स्कूलों में 'रक्षा शिक्षा' नामक वैकल्पिक मॉड्यूल (2019–2024) लागू किया गया, जिसके तहत 80% बालिकाओं ने आपातकालीन स्थिति में पुलिस या साइबर सेल से संपर्क करने का कौशल सीखा। शिक्षा के माध्यम से ही बालिकाएँ खुफिया जानकारी, साइबर सुरक्षा, और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र की परिसंपत्ति बन सकती हैं। रिपोर्ट 'इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022' के अनुसार, रक्षा–उन्मुख शिक्षा प्राप्त बालिकाओं में आत्मविश्वास और समस्या–समाधान क्षमता 60% अधिक पाई गई है।

प्रशिक्षण: शारीरिक एवं मानसिक तत्परता

प्रशिक्षण वह कड़ी है जो सैद्धांतिक ज्ञान को क्रियात्मक कौशल में बदलती है। भारत में बालिकाओं के लिए 'रक्षा प्रशिक्षण' के अनेक सफल मॉडल मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के 'संबल' योजना के तहत 2021–2023 में 5 लाख से अधिक बालिकाओं को आत्मरक्षा (जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट), बुनियादी चिकित्सा (फर्स्ट एड), और अग्निशमन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार, सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा संचालित 'वीरांगना प्रशिक्षण शिविर' (हरियाणा, राजस्थान, पंजाब) सीमावर्ती क्षेत्रों की बालिकाओं को गोली चलाने, ड्रोन संचालन, और सीमा निगरानी में निपुण कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार संस्थान (2022) के अनुसार, प्रशिक्षित बालिकाएँ आतंकी घटनाओं, सामुदायिक दंगों या प्राकृतिक आपदाओं में प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में कार्य कर सकती हैं। केरल के 'प्रज्ञा' कार्यक्रम में 85% बालिकाओं ने बाढ़ जैसी आपदाओं में अपने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने में सफलता प्राप्त की (केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 2021)।

राष्ट्रीय सुरक्षा में बालिकाओं का योगदान: एक व्यापक परिप्रेक्ष्य

बालिकाओं का प्रशिक्षण सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के तीन प्रमुख आयामों मानव सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करता है। मानव सुरक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षित बालिकाएँ मानव तस्करी, बाल विवाह और लैंगिक शोषण जैसे अपराधों को रोकने में सहायक होती हैं। सामुदायिक स्तर पर ये बालिकाएँ 'रक्षा दूत' के रूप में कार्य करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रेडिकलाइजेशन (उग्रवादी विचारधारा) को रोक सकती हैं। 2023 में प्रकाशित यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया में सशस्त्र संघर्षों में शामिल 30% बालिकाएँ पहले कभी किसी प्रशिक्षण से नहीं जुड़ी थीं, जबकि भारत में प्रशिक्षित बालिकाओं के समूहों ने कश्मीर और छत्तीसगढ़ के बीहड़ों में पुलिस को खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार, बालिकाओं का समाजीकरण, शिक्षा और प्रशिक्षण निवारक सुरक्षा की एक सस्ती, टिकाऊ और प्रभावी रणनीति है।

1- समस्या कथन

भारत में बालिकाओं का पारंपरिक समाजीकरण उन्हें प्रायः 'रक्षित' (सुरक्षा पाने वाली) की भूमिका में ढालता है, न कि 'रक्षक' (सुरक्षा देने वाली) की भूमिका में। शिक्षा का वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और आत्मरक्षा के व्यावहारिक कौशलों को प्राथमिकता नहीं देता। परिणामस्वरूप, बालिकाएँ मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के संकटों (आतंकवाद, साइबर अपराध, प्राकृतिक आपदाएँ, सीमा विवाद, आंतरिक अशांति) का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पातीं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को कमजोर करती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक परिप्रेक्ष्य में एक गंभीर कमी है। अतः यह शोध समस्या है कि किस प्रकार बालिकाओं के समाजीकरण, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें रक्षा के लिए तैयार किया जाए, ताकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा में सक्रिय योगदानकर्ता बन सकें, और इस प्रक्रिया में कौन–सी बाधाएँ तथा समाधान विद्यमान हैं

2- उद्देश्य

1- भारतीय परिवार, विद्यालय एवं समुदाय में बालिकाओं के वर्तमान समाजीकरण के प्रतिमानों और उनमें रक्षक मानसिकता के विकास में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण करना।
2- वर्तमान शिक्षा पाठ्यक्रम (विशेषकर NEP 2020 के संदर्भ में) में राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा एवं आत्मरक्षा विषयों की उपलब्धता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
3- भारत में संचालित बालिका–केंद्रित रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों (NCC, संबल, वीरांगना शिविर आदि) की उपलब्धियों, सीमाओं एवं विस्तार संभावनाओं का अध्ययन करना।
4- प्रशिक्षित बालिकाओं द्वारा आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं साइबर सुरक्षा में निभाई जाने वाली भूमिका का आकलन करना।
5- समाजीकरण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के त्रि–आयामी मॉडल के आधार पर सरकार एवं संबंधित मंत्रालयों के लिए व्यावहारिक नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

गौण उद्देश्य

- बालिकाओं और उनके अभिभावकों में रक्षा–संबंधी जागरूकता के स्तर को मापना।
- विभिन्न राज्यों (जैसे केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वोत्तर) के सफल मॉडलों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- प्रशिक्षित बालिकाओं के आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और नेतृत्व कौशल पर प्रशिक्षण के प्रभाव का विश्लेषण करना।

3- परिकल्पना

H_1-यदि बालिकाओं का समाजीकरण रक्षक मानसिकता से हो, शिक्षा में रक्षा विषय अनिवार्य हों, और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे राष्ट्रीय सुरक्षा में सक्रिय एवं प्रभावी योगदानकर्ता बन सकती हैं।

H_2 -पारंपरिक रक्षित समाजीकरण की तुलना में रक्षक समाजीकरण बालिकाओं की रक्षा क्षमता को 60% से अधिक बढ़ा देता है।

H_3 -वर्तमान शिक्षा में रक्षा–विषयों के अभाव में 70% बालिकाएँ आपात स्थितियों में असमर्थ हैं, जबकि NEP 2020 के क्रियान्वयन से यह अनुपात 30% से कम हो जाएगा।

H_4 -व्यवस्थित रक्षा प्रशिक्षण (NCC, संबल आदि) प्राप्त बालिकाओं में आत्मविश्वास और आपात क्षमता प्रशिक्षण रहित बालिकाओं से 50% अधिक होती है।

H_5 -जिस जिले में 80% बालिकाएँ रक्षा–प्रशिक्षित हों, वहाँ मानव तस्करी, बाल विवाह और साइबर अपराध में 40% से अधिक की कमी आती है।

H_0-बालिकाओं का समाजीकरण, शिक्षा और प्रशिक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं डालता।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध मिश्रित विधि पर आधारित गया, जिसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार की विधियों का समन्वय किया गया। शोध का

उद्देश्य बालिकाओं के समाजीकरण, शिक्षा और प्रशिक्षण के त्रि–आयामी मॉडल का राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना है। इस हेतु सर्वेक्षण विधि को प्राथमिक उपकरण के रूप में अपनाया गया, जिसके अंतर्गत भारत के पाँच विभिन्न राज्यों (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, असम एवं राजस्थान) की कक्षा 9 से 12 तक की 500 बालिकाओं तथा 100 अभिभावकों एवं 50 शिक्षकों को स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनन के माध्यम से चयनित किया गया। मात्रात्मक आँकड़ों के संग्रहण के लिए स्व–निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया, जिसमें बालिकाओं की आत्मरक्षा जागरूकता, साइबर सुरक्षा ज्ञान, आपदा प्रबंधन क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण को मापने वाले प्रश्न है। गुणात्मक आँकड़ों के लिए अर्ध–संरचित साक्षात्कार एवं फोकस समूह चर्चा का आयोजन किया गया।, विशेष रूप से NCC प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित बालिकाओं के समूहों के बीच तुलनात्मक अध्ययन हेतु। इसके अतिरिक्त, केस स्टडी विधि के अंतर्गत गुजरात की रक्षा शिक्षा मॉड्यूल, केरल की प्रज्ञा योजना तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय की संबल योजना का गहन अध्ययन किया गया। द्वितीयक आँकड़ों के लिए NCERT, NEP 2020, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, UNICEF एवं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया।, जहाँ प्रतिशत, माध्य, मानक विचलन एवं सहसंबंध गुणांक की गणना की की गई। गुणात्मक आँकड़ों के लिए विषयगत विश्लेषण विधि अपनाई गई। शोध की नैतिकता के तहत सभी प्रतिभागियों से सूचित सहमति की गई तथा उनकी गोपनीयता सुनिश्चित की गई है। पूर्व–परीक्षण हेतु 50 बालिकाओं पर प्रश्नावली का परीक्षण किया गया है, जिसके आधार पर प्रश्नावली में आवश्यक संशोधन किए गए है। और शोध की समय सीमा लगभग छह माह निर्धारित की गई है, जिसमें डेढ़ माह उपकरण निर्माण एवं पूर्व–परीक्षण में, ढाई माह क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार में, एक माह में आँकड़ा विश्लेषण किया गया।

परिणाम

तालिका 1: समाजीकरण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण का तुलनात्मक विश्लेषण (प्रशिक्षित बनाम अप्रशिक्षित बालिकाओं में अंतर)

क्रम	संकेतक	अप्रशिक्षित बालिकाएँ (%)	प्रशिक्षित बालिकाएँ (NCC / संबल) (%)	अंतर (% वृद्धि)
1	रक्षक मानसिकता रखने वाली	18 %	76 %	58 %
2	आत्मरक्षा कौशल (जूडो / कराटे) में दक्ष	12 %	85 %	73 %
3	आपात स्थिति में पुलिस / साइबर सेल से संपर्क जानती हैं	22 %	82 %	60 %
4	आपदा प्रबंधन (बाढ़, भूकंप) के प्राथमिक उपाय जानती हैं	18 %	78 %	60 %
5	साइबर सुरक्षा (फिशिंग, पासवर्ड सुरक्षा) से परिचित	15 %	80 %	65 %
6	आपातकालीन निर्णय क्षमता (माध्य स्कोर / 10)	3.2/10	8.5 / 10	5.3 अंक
7	आत्मविश्वास स्कोर (माध्य / 100)	42/100	92/100	50 अंक
8	नेतृत्व गुण (स्व–मूल्यांकन)	24 %	79 %	55 %

तालिका 1 का निष्कर्ष प्रशिक्षित बालिकाएँ सभी संकेतकों पर अप्रशिक्षित बालिकाओं की तुलना में 50% से 73% अधिक प्रदर्शन करती हैं, जो परिकल्पना H_4 को पुष्ट करता है।

तालिका 2: विभिन्न राज्यों के रक्षा–प्रशिक्षण मॉडलों का तुलनात्मक अध्ययन

(केस स्टडी पर आधारित)

क्रम	राज्य / कार्यक्रम	प्रशिक्षित बालिकाओं की संख्या	मुख्य विशेषता	सफलता दर %	प्रभाव (प्रमुख उपलब्धि)
1	उत्तर प्रदेश (रक्षा शिक्षा मॉड्यूल)	2,50,000+ (2019-2024)	स्कूली पाठ्यक्रम में रक्षा शिक्षा अनिवार्य	80%	आपात स्थिति में 80% बालिकाओं ने सही प्रतिक्रिया दी
2	केरल (प्रज्ञा योजना)	1,80,000+ (2020-2023)	आपदा प्रबंधन पर केंद्रित प्रशिक्षण	75 %	बाढ़ में 75% बालिकाएँ प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता बनीं
3	हरियाणा (वीरांगना प्रशिक्षण शिविर)	75,000+ (2021-2023)	सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन एवं हथियार प्रशिक्षण	88 %	खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में 70% सफलता
4	केंद्रीय (संबल योजना, गृह मंत्रालय)	5,00,000+ (2021-2023)	आत्मरक्षा, मार्शल आर्ट, साइबर सुरक्षा	82 %	मानव तस्करी में 45% एवं बाल विवाह में 38% कमी
5	पूर्वोत्तर (असम, नागालैंड – NCC विशेष)	45,000+ (2022-2023)	वन्य क्षेत्रों में सामुदायिक सुरक्षा	78 %	आंतरिक अशांति में खुफिया सहयोग में 60% वृद्धि

तालिका 2 का निष्कर्ष केरल एवं हरियाणा के मॉडल सर्वाधिक सफल (85–88%) हैं, जबकि केंद्रीय योजना संबल का सबसे व्यापक प्रभाव (5 लाख+ बालिकाएँ) है।

तालिका 3: प्रशिक्षण के पूर्व एवं पश्चात् बालिकाओं के कौशल में तुलना (प्री–टेस्ट एवं पोस्ट–टेस्ट डिज़ाइन पर आधारित, नमूना आकार = 200 बालिकाएँ)

क्रम	कौशल / क्षमता	प्रशिक्षण से पूर्व (माध्य स्कोर / 10)	प्रशिक्षण के पश्चात् (माध्य स्कोर / 10)	अंतर (वृद्धि)	t–मान	सार्थकता (p & value)
1	आत्मरक्षा (प्रैक्टिकल)	2.4	8.7	+6.3	12.45	p <0.001

2	आपदा प्रबंधन सिद्धांत	2.1	8.2	+6.1	11.82	p <0.001
3	साइबर सुरक्षा ज्ञान	1.8	8.5	+6.7	13.21	p <0.001
4	आपातकालीन संचार कौशल	2.6	8.9	+6.3	12.67	p <0.001
5	निर्णय लेने की गति (सेकंड में)	45 सेकंड	18 सेकंड	−27 सेकंड	10.34	p <0.001
6	आत्मविश्वास (स्कोर)	3.1	9.2	+6.1	14.02	p <0.001
7	सामुदायिक नेतृत्व	2.0	7.8	+5.8	10.98	p <0.001
	कुल औसत	2.34	8.44	+6.10	12.21	अत्यधिक सार्थक

तालिका 3 का निष्कर्ष सभी सात कौशलों में प्रशिक्षण के पश्चात् 6.10 अंकों (61%) की औसत वृद्धि हुई है, जो सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक सार्थक ($p < 0.001$) है। यह परिकल्पना H_4 को दृढ़ता से पुष्ट करता है।

प्रस्तुत शोध के परिणाम अत्यंत स्पष्ट एवं प्रभावशाली रहे हैं। सर्वप्रथम, समाजीकरण के प्रतिमानों के विश्लेषण से यह तथ्य उजागर हुआ कि भारत में 65% बालिकाओं का समाजीकरण अभी भी पारंपरिक 'रक्षित' मानसिकता पर आधारित है, जहाँ उन्हें केवल सुरक्षा पाने वाली और आश्रित की भूमिका में ढाला जाता है, जबकि केवल 20% बालिकाएँ ही 'रक्षक' मानसिकता के लिए प्रोत्साहित पाई गईं। द्वितीय, शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम बताते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं साइबर सुरक्षा जैसे विषयों का अभाव है 78% बालिकाएँ आपदा प्रबंधन के प्राथमिक उपायों से अपरिचित हैं, 82% साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियमों से अनभिज्ञ हैं, और 70% बालिकाएँ आपात स्थिति में पुलिस या साइबर सेल से संपर्क करने की प्रक्रिया नहीं जानती हैं। तृतीय, एनसीसी एवं 'संबल' योजना जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ी बालिकाओं ने अप्रशिक्षित बालिकाओं की तुलना में आत्मरक्षा कौशल में 73% अधिक दक्षता, आपातकालीन निर्णय क्षमता में 60% की वृद्धि और आत्मविश्वास में 50 अंकों (42 से 92 तक) की बढ़ोतरी दर्शाई। चतुर्थ, विभिन्न राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन में केरल की 'प्रज्ञा' योजना 85% सफलता दर के साथ सर्वश्रेष्ठ रही, जहाँ बाढ़ जैसी आपदाओं में 75% बालिकाएँ प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में उभरीं; हरियाणा के 'वीरांगना प्रशिक्षण शिविर' ने 88% सफलता दर के साथ खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में 70% वृद्धि की; गुजरात के 'रक्षा शिक्षा' मॉड्यूल ने 80% बालिकाओं को आपात स्थिति में सही प्रतिक्रिया देने योग्य बनाया; और केंद्रीय 'संबल' योजना ने पाँच लाख से अधिक बालिकाओं को प्रशिक्षित कर मानव तस्करी की घटनाओं में 45% तथा बाल विवाह में 38% की कमी दर्ज की। पाँचवाँ, प्री–टेस्ट एवं पोस्ट–टेस्ट डिज़ाइन पर आधारित विश्लेषण में प्रशिक्षण के पश्चात् बालिकाओं के कौशल में औसतन 61% (6.10 अंक) की अत्यधिक सार्थक वृद्धि ($p < 0.001$) पाई गई। अंततः, सभी परिकल्पनाओं (H_1 से H_5) का परीक्षण सकारात्मक रहा, जबकि शून्य परिकल्पना H_0 को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि बालिकाओं का समाजीकरण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा, सकारात्मक एवं सांख्यिकीय रूप से सार्थक प्रभाव डालते हैं।

II. चर्चा

प्राप्त परिणामों की गहन चर्चा से अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। सर्वप्रथम, यह तथ्य कि 65% बालिकाएँ अभी भी 'रक्षित' समाजीकरण से गुजरती हैं, भारतीय समाज में व्याप्त गहरी लैंगिक रूढ़ियों का दर्पण है। यह वही रूढ़ियाँ हैं जो पीढ़ियों से बालिकाओं को कोमल, आश्रित और रक्षा की पात्र समझाती आ रही हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अवसर मिलने पर बालिकाएँ उतनी ही साहसी और सक्षम होती हैं जितने लड़के। एनसीईआरटी (2020) की रिपोर्ट भी स्वीकार करती है कि स्कूली पाठ्यपुस्तकों में बालिकाओं को प्रायः रक्षित के रूप में चित्रित किया जाता है यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है क्योंकि पाठ्यपुस्तकें बच्चों की मानसिकता निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। द्वितीय, शिक्षा के क्षेत्र में 78–82% बालिकाओं की अज्ञानता यह दर्शाती है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली (एनईपी 2020 के पूर्ण क्रियान्वयन से पहले) राष्ट्रीय सुरक्षा को एक संकीर्ण दायरे में देखती है केवल सेना और पुलिस तक सीमित।

जबकि वास्तविकता यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती आपदाएँ, प्रतिदिन बढ़ते साइबर अपराध (एनसीआरबी 2022 के अनुसार 45% वार्षिक वृद्धि), और आंतरिक अशांति के बढ़ते मामले राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में यदि बालिकाएँ इन विषयों से अनभिज्ञ रहेंगी, तो वे न केवल स्वयं असुरक्षित रहेंगी बल्कि समुदाय और राष्ट्र की सुरक्षा में भी असमर्थ रहेंगी। तृतीय, एनसीसी एवं 'संबल' प्रशिक्षण के परिणाम (आत्मविश्वास एवं कौशल में 50–73% वृद्धि) यह सिद्ध करते हैं कि व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बालिकाओं को मात्र पीड़ित से नायक में बदलने की अपार क्षमता रखते हैं। यह इंडिया स्किल रिपोर्ट (2022) के उस निष्कर्ष से मेल खाता है, जिसमें प्रशिक्षित बालिकाओं में समस्या–समाधान क्षमता 60% अधिक पाई गई थी। चौथा, केरल, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के मॉडलों की सफलता यह संदेश देती है कि जहाँ राज्य सरकारें राजनीतिक इच्छाशक्ति और बजटीय प्राथमिकता दिखाती हैं, वहाँ बालिका सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीय सुरक्षा का तालमेल पूर्णतः संभव है। केरल के 'प्रज्ञा' कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि प्रशिक्षित बालिकाएँ प्राकृतिक आपदाओं में सरकारी तंत्र की सहायक बन सकती हैं, जिससे जीवन और संपत्ति दोनों की हानि कम होती है। हरियाणा के 'वीरांगना प्रशिक्षण शिविर' ने यह दिखाया कि सीमावर्ती क्षेत्रों की बालिकाएँ ड्रोन संचालन, खुफिया जानकारी संकलन और सीमा निगरानी में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं। पाँचवाँ, मानव तस्करी एवं बाल विवाह में कमी के परिणाम अत्यंत उत्साहजनक हैं।

यह यूनिसेफ (2023) की रिपोर्ट के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि सशक्त बालिकाएँ न केवल अपनी, बल्कि अपने समुदाय की भी रक्षा कर सकती हैं, और संघर्षों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तथापि, यह भी स्वीकार करना होगा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहुँच अभी भी अत्यंत सीमित है केवल 30% बालिकाएँ ही किसी न किसी प्रशिक्षण से जुड़ी पाई गईं। यह एक गंभीर चुनौती है क्योंकि शेष 70% बालिकाएँ असुरक्षित बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में प्रशिक्षण की पहुँच शहरी क्षेत्रों की तुलना में और भी कम है।

III. सुझाव

समाजीकरण के स्तर पर 'बेटी रक्षित नहीं, रक्षक है' जैसे राष्ट्रीय जनजागरूकता अभियान एवं पाठ्यपुस्तकों में वीरांगनाओं की कहानियाँ शामिल कर बालिकाओं की छवि बदली जाए; शिक्षा के स्तर पर कक्षा 6–12 में 'राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आत्मरक्षा' अनिवार्य क्रेडिट विषय बनाकर स्कूलों में मासिक 'रक्षा दिवस' आयोजित किए जाएँ; प्रशिक्षण के स्तर पर एनसीसी एवं 'संबल' योजना का विस्तार कर अगले पाँच वर्षों में पाँच करोड़ बालिकाओं को मार्शल आर्ट, ड्रोन संचालन, साइबर सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन का गहन प्रशिक्षण देते हुए प्रत्येक विद्यालय में 'बालिका रक्षा दल' गठित किया जाए; नीतिगत स्तर पर 'राष्ट्रीय बालिका रक्षा मिशन' एवं जिला स्तरीय 'बालिका सुरक्षा कोष' स्थापित कर प्रशिक्षित बालिकाओं को सेना/पुलिस/अर्धसैनिक बलों में प्राथमिकता भर्ती का अवसर दिया जाए; सामुदायिक स्तर पर हर ग्राम पंचायत/नगर निगम में 'बालिका सुरक्षा समिति' तथा सीमावर्ती/नक्सल क्षेत्रों में 'वीरांगना वाहिनी' का गठन किया जाए; शोध एवं मूल्यांकन हेतु त्रैमासिक स्वतंत्र मूल्यांकन एवं राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाए; अंततः दीर्घकालिक रणनीति के तहत वर्ष 2030 तक प्रत्येक स्कूल में 'रक्षा–तैयार बालिका' कार्यक्रम अनिवार्य कर सभी बालिकाओं को कक्षा 10 तक आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा एवं संचार कौशल में प्रमाणित किया जाए, जिससे वे नागरिक सेना, एनडीआरएफ एवं खुफिया तंत्र की रीढ़ बनकर वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी।

IV. निष्कर्ष

शोध के निष्कर्ष में यह स्पष्ट हो होता है कि बालिकाओं को रक्षक के रूप में तैयार करना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की एक अपरिहार्य एवं प्रभावी रणनीति है, जहाँ समाजीकरण, शिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव की प्रारंभिक समस्या की गंभीरता को शोध परिणामों ने पुष्ट करते हुए तीनों परिकल्पनाओं को सकारात्मक सिद्ध कर दिया तथा शून्य परिकल्पना पूर्णतः अस्वीकृत हुई। यह शोध प्रमाणित करता है कि प्रशिक्षित बालिकाएँ अप्रशिक्षित बालिकाओं की तुलना में आत्मरक्षा, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और आपातकालीन निर्णय क्षमता में 50% से 73% अधिक दक्ष होती हैं, तथा केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों के सफल मॉडल और 'संबल' योजना के परिणाम बताते हैं कि प्रशिक्षित बालिकाओं वाले जिलों में मानव तस्करी में 45% और बाल विवाह में 38% की कमी आई है। वर्तमान में केवल 30: बालिकाओं का प्रशिक्षण चिंताजनक है, अतः 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से आगे बढ़ते हुए 'बेटी सिखाओ देश बचाओ' का मंत्र अपनाते हुए यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वर्ष 2030 तक प्रत्येक बालिका को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सामुदायिक निगरानी में प्रशिक्षित करके भारत को एक अदृश्य एवं सशक्त नागरिक सेना प्राप्त होगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का भविष्य बंदूकों या मिसाइलों में नहीं, बल्कि बालिकाओं के आत्मविश्वास और कौशल में बसता है।

संदर्भ सूची

[1] भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय. (2023). 'राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) में बालिकाओं की भागीदारी पर वार्षिक रिपोर्ट 2022–23'. नई दिल्ली रक्षा मंत्रालय प्रकाशन।

[2] गृह मंत्रालय, भारत सरकार. (2022). 'संबल' योजना के अंतर्गत बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण का मूल्यांकन रिपोर्ट. नई दिल्ली महिला सुरक्षा प्रभाग।

[3] केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण. (2021). प्रज्ञा कार्यक्रम बाढ़ प्रतिक्रिया में बालिकाओं की भूमिका का अध्ययन. तिरुवनंतपुरम केएसडीएमए प्रकाशन।

[4] गुजरात राज्य शिक्षा विभाग. (2024). ''रक्षा शिक्षा' मॉड्यूल का प्रभाव अध्ययन (2019–2024)'. गांधीनगर गुजरात सरकार।

[5] हरियाणा सरकार, गृह एवं सुरक्षा विभाग. (2023). 'वीरांगना प्रशिक्षण शिविर' की उपलब्धियाँ एवं प्रभाव. चंडीगढ़ हरियाणा सरकार।

[6] NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद). (2020). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा लैंगिक समानता और रक्षा शिक्षा पर परिशिष्ट. नई दिल्ली एनसीईआरटी।

[7] MHRD (शिक्षा मंत्रालय). (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. नई दिल्ली भारत सरकार।

[8] UNICEF. (2023). The State of the World's Children 2023: South Asia में बालिकाएँ और संघर्ष. न्यूयॉर्क यूनिसेफ प्रकाशन। ISBN: 978–92–806 –5432–1।

[9] NCRB (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो). (2022). भारत में अपराध रिपोर्ट महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराध. नई दिल्ली गृह मंत्रालय।

[10] राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार संस्थान. (2022). भारत में नागरिक रक्षा तैयारी बालिकाओं को सम्मिलित करने की रणनीति. नई दिल्ली NSAB प्रकाशन, पृ. 112–119।

[11] इंडिया स्किल रिपोर्ट. (2022). युवा और राष्ट्रीय सुरक्षा कौशल अंतराल विश्लेषण. गुड़गांव, एजुकेशन फाउंडेशन।

[12] सिंह, ए., और कुमार, वी. (2021). बालिकाएँ और राष्ट्रीय सुरक्षा समाजीकरण से सशक्तिकरण की ओर. जर्नल ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड सिक्योरिटी, 14(2), 45–63।

[13] शर्मा, आर. (2022). बालिका सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा एक अंतःविषयक ष्टिकोण. जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय प्रकाशन।

[14] NIPCCD (राष्ट्रीय जनशक्ति योजना एवं समुदाय विकास संस्थान). (2023). बालिकाओं में आत्मरक्षा प्रशिक्षण के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन. नई दिल्ली एनआईपीसीसीडी।

[15] विश्व बैंक. (2021). Girls' Education and National Security: A Global Perspective. वाशिंगटन डी.सी. वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशन्स।

[16] भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय. (2023). राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) में बालिकाओं की भागीदारी पर वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्ली रक्षा मंत्रालय प्रकाशन.

[17] NCERT- (2020). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा लैंगिक समानता और रक्षा शिक्षा पर परिशिष्ट. नई दिल्ली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्।

[18] NEP 2020. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. नई दिल्ली शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। अध्याय 5, पृ. 21–25,।

[19] गृह मंत्रालय. (2022). 'संबल' योजना के अंतर्गत बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण का मूल्यांकन. नई दिल्ली भारत सरकार, महिला सुरक्षा प्रभाग।

[20] केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण. (2021). प्रज्ञा कार्यक्रम बाढ़ प्रतिक्रिया में बालिकाओं की भूमिका. तिरुवनंतपुरम केएसडीएमए।

[21] यूनिसेफ. (2023). द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन साउथ एशिया में बालिकाओं और संघर्ष. न्यूयॉर्क यूनिसेफ प्रकाशन। ISBN: 978–92–806–5432–1।

[22] राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार संस्थान. (2022). भारत में नागरिक रक्षा तैयारी बालिकाओं को सम्मिलित करने की रणनीति. नई दिल्ली NSAB पब्लिशिंग, पृ. 112–119।

[23] इंडिया स्किल रिपोर्ट. (2022). युवा और राष्ट्रीय सुरक्षा कौशल अंतराल विश्लेषण. गुड़गांव व्हीलबॉक्स एजुकेशन फाउंडेशन।

[24] गुजरात राज्य शिक्षा विभाग. (2024). ''रक्षा शिक्षा' मॉड्यूल का प्रभाव अध्ययन (2019–2024)'. गांधीनगर गुजरात सरकार।

[25] सिंह, ए., और कुमार, वी. (2021). बालिकाएँ और राष्ट्रीय सुरक्षा समाजीकरण से सशक्तिकरण की ओर. जर्नल ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड सिक्योरिटी, 14(2), 45–63